न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-29/2023

राज्य

बनाम्

संजय कुमार साहू

–: आदेश :–

23/5/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 09/अप0शा0 दिनांक 04.01.2023 से राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–219/2022 दिनांक–19.11.2022 से संबंधित है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद, बालूमाथ थाना अन्तर्गत अमरवाडीह पिकेट प्रभारी के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–219/2022 दिनांक–19.11.2022 दर्ज किया गया। बालूमाथ थाना प्रभारी को दिनांक 19.11.2022 को रात्रि समय करीब 01:30 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि पिपराही जंगल से संजय कुमार साहु, पे0–बालदेव साव, सा0+थाना–रातू, जिला–रांची का कोयला लदा बारह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129 गणेशपुर की ओर जाने वाली है, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद द्वारा अमरवाडीह पिकेट के सशस्त्र बल के साथ ग्राम गणेशपुर हनुमान मंदिर के पास पहुंचकर वाहन चेकिंग किया जाने लगा। कुछ समय उपरांत ग्राम–डहु कि ओर से एक कोयला लदा ट्रक आते देखा तो साथ गये सशस्त्र बल को सतर्क करते हुए आ रहे ट्रक को टॉर्च की रौशनी से रूकने का इशारा किया गया। जिसके पश्चात् ट्रक चालक ट्रक को धीमी कर ट्रक रोक दिया परन्तु पकड़े

जाने के डर से ट्रक के रूकते ही उक्त ट्रक चालक भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया, परन्तु अंधेरा एवं झाड़ी होने के कारण ट्रक चालक भागने में सफल रहा। तत्पश्चात् उक्त बारह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129, चेसीस नं0–MAT466395G1N25415 को जांच करने पर ट्रक के डाला में करीब 20 टन कोयला लदा पाया गया। उक्त कोयला से संबंधित दस्तावेज की खोजबीन ट्रक के केबिन में करने पर कोई वैध कागजात नहीं मिला। विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त बारह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129, चेसीस नं0–MAT466395G1N25415 को उसके डाला पर लदे करीब 20 टन अवैध कोयला सहित अमरवाडीह पुलिस पिकेट के परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। इस प्रकार से अवैध रूप से कोयला चोरी कर परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध है। काण्ड में जप्त बारह चक्का ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129, चेसीस नं0–MAT466395G1N25415 एवं ट्रक पर लदा करीब 20 टन अवैध कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करना आवश्यक है।

विपक्षी संजय कुमार साहू पिता–बालदेव साव, ग्राम–रातू, पो0–रातू, थाना–रातू, जिला–रांची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। उक्त ट्रक खुले परिसर में है, इसलिए भारी बारिस और धूप के कारण फीका पड रहा है। उक्त ट्रक के वास्तविक मालिक आदतन अपराधी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मौके पर और घटना स्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। उक्त जप्त ट्रक को न्याय हित में मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9(i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

९५

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129, चेसीस नं0–MAT466395G1N25415 में लदे कोयला का वैध कागजात/चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129, चेसीस नं0–MAT466395G1N25415 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः ट्रक रजि0 नं0–JH01CJ-7129, चेसीस नं0–MAT466395G1N25415 को एवं उसपर लदे करीब 20 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

23/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

23/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.05.29 16:28:52 +05:30
Location: 10.93.47.5